शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (601-606) April - June 2019

जाति विभेद के सम्बन्ध में गांधी एवं अम्बेडकर का वैचारिक विमर्श

आशुतोष शर्मा
शोधार्थी, इतिहास विभाग, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर
Email : sharmaji9717@gmail.com

सारांश

जाति के सवाल पर विभिन्न स्कूलों जैसे राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, स्त्रीवादी, प्राच्यवादी तथा दलित इतिहासकारों द्वारा काफी लिखा गया। इन सभी स्कूलों के इतिहासकारों द्वारा जाति के बारे में लिखा गया है। लेकिन वे सभी जाति के उन्मूलन के विषय में मौन है। प्रस्तुत शोध पत्र को विस्तार देने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि जातिगत भेदभाव क्या होता है इसके उद्‌भव का धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक आधार क्या है और इसका जटिल स्वरूप अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। इस सम्बन्ध में अम्बेडकर जी का क्या कहना है और इनके प्रचलित कथन इस प्रकार है।

''मेरे विचार से जाति प्रथा समाप्त करने का उचित रास्ता यह होगा कि हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा दिया जाये। श्रुति और स्मृतियों के धर्म को नष्ट करना होगा।''

''जब तक जाति व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। जाति व्यवस्था की नींव पर जो भी निर्माण करेंगे जो चटक जायेगा।''

''मनु में जाति का निर्माण नहीं किया और न वह ऐसे कर सकते थे। जाति प्रभा मनु से पूर्व विद्यमान थी वह तो उसका पोषक था, इसलिये उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया।''

प्रस्तावना

भारत में जिसका जन्म हुआ है और जो यहीं पले–बढ़े लोग यह जानते हैं कि सामाजिक भेदभाव जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे मानवीय आचरण रोजमर्रा की जीवनशैली में घटित होने वाली एक सामान्य घटना है। यह देखने में कुदरती, स्वाभाविक और आमबात लगती है क्योंकि इसे धार्मिक, कर्मकांडीय व दार्शनिक आधार पर तर्कसंगत तथा शुद्धता, अशुद्धता एवं व्यावसायिक आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है। इसमें कुछ जातियों को जन्म और व्यवसाय के आधार पर उच्च तथा जातियों को समाज में निम्न समझा जाता है और इसी आधार पर इससे भेदभाद की चरम अभिव्यक्ति की अस्पृश्यता और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के रूप देखी जा सकती है।

अम्बेडकर का जन्म अप्रैल, 1891 में महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ। कुछ लोगों का मत है कि महार इस प्रदेश के सबसे पुराने वासी थे और उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम

''मेहर–राष्ट्र'' अथवा ''महाराष्ट्र'' पड़ा। कालान्तर में महरों को अछूत समझा जाने लगा। अम्बेडकर का कहना था कि महर लोग अत्यन्त हिम्मती तथा शूर–वीर हुआ करते थे, किन्तु 1892 में अंग्रेज सरकार ने उनको सैनिक के रूप में भर्ती होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबन्ध 1917 तक जारी रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रतिन्ध हटा लिया गया और एक मेहर रेजिमेन्ट की स्थापना की गई। इस वक्त अम्बेडकर अपनी युवावस्था में थे अपनी जाति पर हुये अत्याचारों को पूर्ण रूप से समझने लगे थे।

बचपन से ही अम्बेडकर को अछूत होने की पीड़ा का अनुभव होने लगा था। सन् 1900 में वे राजकीय कॉलेज सतारा में भर्ती हुए। 1900 से 1904 तक वे इस कॉलेज में रहे। इन चार वर्षों में उन्हें महसूस हुआ कि अछूत होने का अर्थ क्या है। उनके सहपाठी, जो बौद्धिक क्षमता में उनसे कहीं नीचे थे, उनसे दुर्व्यवहार करते थे। वे हाथ से पानी तक नहीं पी सकते थे। उनके कुछ दयावान साथी ऊपर से मुँह में पानी डाल दिया करते थे ताकि बर्तन पर उनका स्पर्श न हो सके। जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वह पैदल ही जाया करते क्योंकि बैलगाड़ी में उन्हें बैठा कर नहीं ले जाता था। कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक ने उनको स्थान पर उन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार से समझने लग कि अछूत तो सिर्फ क्रीतदास हैं और तथाकथित ऊँची जाति के लोग, विशेषतः ब्राह्मण वर्ग के लोग, कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि अछूत वर्ग के लोग जीवन में कुछ कर सकें। ग्रेजुएट होने के बाद अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। कुछ ही समय बाद बड़ौदा के महाराजा की कृपा से उनको ''गायकवाड़–स्कारशिप'' प्रदान की गई और वे कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गये यह अम्बेडकर के लिए एक स्वर्णित अवसर था। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में वे काफी समय तक अध्ययनरत रहे। यहीं उनकी मुलाकात प्रोफेसर सेलिगमैन से हुयी। उनके सानिध्य में सन् 1915 में अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में एम0ए0 की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अम्बेडकर की मुलाकात लाला लाजपत राय से हुयी। 1917 में अम्बेडकर ने पी–एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर ली। उनका विषय था नेशनल डिविडेन्ट फॉर इण्डिया : ए हिस्टोरिकल एण्ड एनालिटिकल स्टडी'' इस पुस्तक की खूब चर्चा हुई। उसी वर्ष सन् 1917 में भारत में गांधीवादी युग का आरम्भ चम्पारन आन्दोलन के रूप में हो चुका था। महात्मा गांधी जहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी भूमिका प्रभुसता से निभा रहे थे। जाति के प्रश्न के पर अम्बेडकर और गांधी के मध्य पर्याप्त वैचारिक मतभेद थे। अम्बेडकर के अनुसार सुधार चाहने वाले अम्बेडकरवादी कहलाये और गांधी जी अनुसार सुधार चाहने वाले गांधीवादी कहलाये।

जाति विभेद पर गांधी जी का विचार

गांधी जी का जातिभेद पर विचार सर्वोदय के सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है। उनकी परिकल्पना में एक ऐसे नवीन समाज की कल्पना थी। जिससे सम्प्रदाय–भेद, वर्ग–भेद, जाति–भेद और शोषण का कोई स्थान नहीं होगा और न उसमें ऊँच–नीच का भेद होगा। वे एक समरस समाज के हिमायती थी।

गांधी परम्परा में चली आ रही वर्णव्यवस्था के समर्थक जरूर थे, पर वर्ण व्यवस्था से उनका आशय श्रम के विभाजन से था और इसलिये वे कर्म के अनुसार इसे परिवर्तनीय भी मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था में लचीलापन स्वीकार करते थे।

गांधी जी की मान्यता थी कि सभी प्राणी एक ईश्वर की संतान हैं। उनके अनुसार अस्पृश्यता एक ऐसा पाप है, जो मिथ्या अभियान और स्वार्थवृत्ति का सामाजिक रूप है अस्पृश्यता निवारण के संकल्प को गांधी जी सवर्णों द्वारा हरिजनों के प्रति की गई कृपा नहीं मानते थे, बल्कि सवर्णों के लिये प्रायश्चित एवं शुद्ध अज्ञ मानते थे। उनकी दृष्टि में अस्पृश्यता से सामाजिक विघटन होता है। जिससे राष्ट्रीय चेतना में गिरावट आती है।

गांधी जी के अनुसार एक ही ईश्वर की सन्तान होने के कारण मानव द्वारा मानव को अछूत समझना अनुचित है। अतः हिन्दू समाज के व्यापक हित में अस्पृश्यता का अन्त होना आवश्यक है। इसके लिये व्यापक सामाजिक जागृति आवश्यक है। गांधी जी ने इसके लिये अथक प्रयास किया। उन्होंने हरिजनों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिये अनिश्चित कालीन अनशन किया था। गांधी जी द्वारा केरल के त्रावणकोर में 'वाइकोम सत्याग्रह' का समर्थन हरिजनोद्धार की दृष्टि से भारतीय इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना है। जिसका तत्कालीन भारतीय परिवेश में व्यापक प्रभाव पड़ा। अपने सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया में गांधी जी अस्पृश्यता पर इसलिये सबसे पहले प्रहार करते हैं कि यदि एक बार अस्पृश्यता पर इसलिये सबसे पहले प्रहार करते हैं कि यदि एक बार अस्पृश्यता की भावना समाप्त हो जाएगी तो जाति व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। गांधी जी अपने समय के चक्र की बड़ी बारीकी से देख रहे थे, जहाँ स्वयं उन वर्गों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेतना फैल रही थी इसलिये उनका मानना था कि यह हिन्दू धर्म के अस्तित्व और भलाई की बात होगी कि अछूतों के अधिकार को ससमय रहते उन्हें हस्तान्तरित कर दिया जाए। अछूत की बुराई को दूर करने के लिये गांधी जी ने 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) कहकर संबोधित किया परन्तु वे इस बात को बड़ी गम्भीरता से महसूस करते थे, कि किसी समूह का नाम बदल देने से उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती, बल्कि वे हरिजन शब्द को सुधार की प्रथम पीढ़ी मानते थे, क्योंकि वे किसी ऐसे शब्द संबोधन के विरोधी थे, जो स्वयं में अपमान सूचक है।

गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों की इस मिथ्या धारणा कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता और यहाँ के लोग सदैव आपस में बंटे रहेंगे। इस चुनौती के विरोध में उन्होंने ऐतिहासिक उत्तरदायित्व निभाने का दृढ़ निश्चय किया और भारत को एक संगठित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। भारत के सभी लोगों को एक साथ खड़ा करने के लिये उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम और अछूत कहे जाने वाले सभी लोगों की एकता पर बल दिया। गांधी जी ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने सबके लिए वास्तविक स्वराज की मांग की।

गांधी जी की अटल आस्था हड़प परिवर्तन में थी, किसी भी सामाजिक व राजनीतिक बुराई को वे हृदय परिवर्तन और उदारता के विचारों के द्वारा दूर करना चाहते थे, यही उन्हें प्रभावी प्रवत्ति लगती थी अहिंसा के कठोर समर्थक होने के कारण वे किसी बल प्रयोग के रास्ते के विरोध

ाी थे। उनकी मान्यता थी कि अस्पृश्यता को दूर करने की प्रेरणा व्यक्ति के भीतर सामाजिक रूप से होनी चाहिए।

जाति भेद पर डॉ0 अम्बेडकर के विचार

दलितोद्धार के क्षेत्र में अम्बेडकर को महान अमेरिकी नीग्रो नेता पाल रॉब्सन के समान समझा जाता है उन्होंने निम्न जातियों के सम्मान की लड़ाई अपने 'बहिष्कृत भारत' मूक नायक, डिप्रेस्ड क्लास जैसी पुस्तकों के माध्यम से शुरू की : जातिय शोषण के विरुद्ध अम्बेडकर एक विद्रोह के प्रतीक हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर की भूमिका को देखते हुए प्रमुख संविधान विचारक एम0बी0 पायली ने 'आधुनिक मनु' की संज्ञा दी।

अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की जड़, जाति व्यवस्था पर ऐतिहासिक, नैतिक, शास्त्रीय तथा तार्किक रूप से प्रहार किया, उनके अनुसार जाति व्यवस्था पूर्णतः अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, अमानवीय और शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। अम्बेडकर द्वारा जाति व्यवस्था के विरुद्ध किये गये प्रयासों को निम्न चरण बद्ध प्रक्रियायों से समझा जा सकता है।
प्रथम चरण (1919–27) : सामाजिक सुधारों के कार्यों द्वारा जाति व्यवस्था की आलोचना।
द्वितीय चरण (1927 के बाद) : राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना व शिक्षा पद्धति की आलोचना।
तष्तीय चरण – हिन्दू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण जाति व्यवस्था से बाहर होना।

1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिये गये अपने प्रमुख भाषण में बाबा साहेब ने कहा था कि जाति ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया है। उनके कहने का तात्पर्य यह की जाति ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। इसी के चलते अम्बेडकर ने स्वराज की लड़ाई में स्वराज को अम्बेडकर ने शाब्ति अछूतों के लिये बेईमानी बताया क्योंकि उनका मानना था कि इससे पुनः विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति में अछूतों के दुःखों में और वृद्धि हो जायेगी इसी कारण उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज प्राप्ति कोई महत्त्व नहीं है।

डॉ0 अम्बेडकर और गांधी के मध्य कई वैचारिक मतभेद हुए उसमें प्रमुख शाब्दिक मतभेद गांधी द्वारा 'हरिजन' शब्द के सम्बोधन पर अम्बेडकर और बाद में उनके अनुयायियों को घोर आपत्ति हुयी। यद्यपि गांधी तथा गांधी वादी 'हरिजन' शब्द को 'तुलसीकृत रामचरित मानस और वैष्णव धर्म वाला हरिजन' मानते थे। जब अम्बेडकर को इस शब्द से घृणा इसलिये थी कि यह शब्द 18वीं शताब्दी में गुजराती कवि नरसी मेहता द्वारा उन लोगों के लिये प्रयुक्त किया गया था, जो दक्षिण भारत में देवदासियों की अवैध सन्तान होती थी। इस प्रकार यह शब्द इतना विवादास्पद हुआ कि अम्बेडकर के अनुयायी आक्रामक रूख अपनाते हुए इसकी कटुतम आलोचना करते है इसका एक उदाहरण हमें सहिष्णुता के रूप में देखना चाहिए।

अम्बेडकर की 'इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी' ने 'हरिजन' शब्द के व्यवहार पर आपत्ति की थी। गांधी इस आपत्ति की परवा क्यों करते? गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर आस्था वैज्ञानिक थी और अटल थी। वैसे भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग गांधी को नरसी मेहता था, जिन्होंने मन्दिर की

नर्तकियों के नाजा पत्र बच्चों को पैतृक पहचान का सम्मान देने के लिये उन्हें 'हरिजन' कहा। जिस कारण दलित वर्ग के बच्चों की पैतृक शिनाख्त तो संदिग्ध नहीं होती।

दैनिक समाचार पत्र 'राष्ट्रीय सहारा' का 24 अप्रैल (1994, हस्तक्षेप) में छपा 'एक लेख जिसको 'धीरूभाई सेठ' ने लिखा था उसके अनुसार ''जहाँ तक 'हरिजन' शब्द के प्रयोग करने या न करने का विवाद है, तो मैं समझता हूँ कि इस विवाद को ज्यादा तहजीब देने की जरूरत नहीं है। लेख का संदर्भ यह है कि समुदाय विशेष के लोगों को इसका निर्णय लेने देना चाहिये कि उनके लिये क्या उपयुक्त है कहने का तात्पर्य वह क्या कहलाना पसंद करते है। उन्होंने अमेरिकी उदाहरण से स्पष्ट कि वहां का वंचित समुदाय पहले अपने को निग्रो और फिर बाद में ब्लैक कहलाना पसंद किया। वही लोग आज अपने आपको 'एक्रो–अमरीकन' ही कहलाते है। इसलिये उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह क्या कहलाना पसंद करेगे। अपने लेख के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हरिजन शब्द को लेकर गांधी जी का रुख अड़ियल नहीं था उस वक्त के लोगों ने इसको कहलाना पसंद किया लेकिन आज यह पसंद नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिये।

गांधी और अम्बेडकर द्वारा दलित उत्थान हेतु सुझाव

एक बात तो सत्य है कि गांधी और अम्बेडकर दोनों चाहते थे कि अनुसूचित जातियों का सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दर्षष्टि से उत्थान हो। अर्थात् दोनों के उद्देश्य तो समान थे, किन्तु उत्थान मार्ग क्या हो इस विषय में अर्थात् दोनों में भिन्नता थी। गांधी जी दृष्टि में जाति की समस्या का मूल बिन्दु सामाजिक दृष्टि से भेद–भाव की दृष्टि थी इसका निवारण आवश्यक है। जब तक इनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता तब तक इनका राजनीतिक और आर्थिक उत्थान चाहे जितना कर दिया जाये नहीं होगा इस सम्बन्ध में इन्होंने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

(अ) सवर्ण तथा अवर्ण के मध्य एकता माहौल उत्पन्न करना।

(ब) सवर्णों के बीच से भेदभाव और अस्पृश्यता की भावना को दूर करना। गांधी की दृष्टि में इस भेदभाव का कारण मनोवैज्ञानिक और धार्मिक था। यदि सवर्ण जातियाँ इस कुप्रथा को दूर नहीं करना चाहती तो अस्पृश्यता के भेदभाव से छुटकारा नहीं मिल सकता।

(स) गांधी सवर्णों के ह्रदय परिवर्तन से सामाजिक समानता लाना चाहते थे। यदि यह सामाजिक समानता आ जाती है। तब इनका आर्थिक और राजनीतिक उत्थान भी होगा।

दूसरी ओर अम्बेडकर को यह विश्वास नहीं था कि सवर्ण जातियाँ अवर्ण को अपना लेंगी सामाजिक एकता तो अम्बेडकर के अनुसार निम्न उपायों से संभव है।

(अ) अम्बेडकर का मानना था कि सभी हिन्दू धर्म ग्रन्थों को नष्ट कर देना चाहिए। इनसे ही सवर्ण बनाम अवर्ण की भावना का विकास होता है।

(ब) राजनैतिक अधिकार मिलना, संवैधानिक भावना का विकास करना।

(स) राजनैतिक सत्ता तथा प्रशासन में भागीदारी मिलने पर सामाजिक समानता अपने आप

मिल जायेगी।

इस प्रकार हम कह सकते है कि अम्बेडकर के विचार वास्तव में सामाजिक परिस्थितियों की देन है जो कि ऐतिहासिक नियति के रूप में समय के परिवर्तनों के अनुकूलन की स्थिति में आ गये थे। 1920 के बाद अम्बेडकर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे एवं 'मूकनायक' पत्रिका में लिखा कि ''बिना शक्ति एवं ज्ञान के दलितों तथा अछूतों के लिये उन्नति के सब रास्ते बंद है।'' अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था दलित वर्ग के लिये जो संस्थायें स्थापित की जाये, उनके सदस्य केवल इसी वर्ग के हों। अम्बेडकर गांधी की इस मान्यता का विरोध करते थे कि गंदगी साफ करना महान कार्य है। अम्बेडकर ने तीन प्रेरणास्रोत ही चुने – कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और गौतमबुद्ध।

अम्बेडकर कहते हैं यदि प्लेटों की परिभाषा सही है, तो भारत के अछूत वास्तव में गुलाम है। उन्हें बराबर यह बताया गया है कि उन्हें दयनीय स्थिति की शिकायत नहीं करनी चाहिये और उन्हें अपनी सुधारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

1 मिश्र, डॉ0 हृदय नारायण, *सामाजिक राजनीतिक दर्शन के नये आयाम*, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2010
2 सिंह, अरूण कुमार, *सामाजिक राजनीतिक दर्शन*, चयन पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3 सिंह, *शिवभानु सिंह,* शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद
4 जोशी, डॉ0 एम0सी0, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद
5 राष्ट्रीय सहारा, *हस्तक्षेप*, धीरू भाई सेठ का लेख, 24 अप्रैल, 1994
6 चन्द्रिका प्रसाद, *बाबा साहेब के पन्द्रह व्याख्यान*, लखनऊ बहुजन कल्याण प्रकाशन, पृष्ठ **68–70**
7 ए0टी0 हिंगोरानी, *माई फिलॉस्की ऑफ लाइफ बाई महात्मा गांधी,* बम्बई पीयर्ल पब्लिकेशन प्रा0लि0, 1990, पृष्ठ **146**
8 रामगोपाल सिंह, *डॉ0 अम्बेडकर का विचार दर्शन,* भोपाल, मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1990, पृष्ठ **387**